राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 25/2025 निगरानी

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति करेड़ा जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. मोहनलाल पिता जोरू गुर्जर निवासी मंगलपुरा ग्राम पंचायत चान्दरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत चांदरास जरिए सरपंच ग्राम पंचायत चांदरास, पंचायत समिति करेड़ा, जिला भीलवाड़ा
–निगराकार		–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.10.2016 मिसल संख्या 28 वर्ष 2016–17 ग्राम पंचायत चान्दरास

उपस्थित -- विभागीय पेरोकार (निगराकार की ओर से)
श्री रतनलाल जाट, अधिवक्ता (गैर निगराकार–1 की ओर से)
श्री अमित कोठारी अधिवक्ता (गैर निगराकार–2 की ओर से)

निर्णय

दिनांक 24/11/2025

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि गैर निगराकार संख्या–01 द्वारा ग्राम पंचायत चान्दरास में दिनांक 26.10.2016 को दुकान भूखण्ड कय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर गैर निगराकार संख्या–02 द्वारा पत्रावली संख्या 28/2016 दिनांक 26.10.2016 दायर कर पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों के विपरीत भूमि

24.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा